भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
सामान्य सेवा संगठन / GENERAL SERVICES ORGANISATION
(पऊवि अस्पताल) / (DAE Hospital)
कल्पाक्कम / Kalpakkam 603 102.

Ref: GSO/HOSP/OUTSIDE_PRES/2023/CHSS/ 29.09., 2023
CIRCULAR NO: 182/CHSS/HOSP

विषय: **सीएचएसएस लाभार्थियों द्वारा निर्धारित दवाओं की बाहर से खरीद**
Sub: **Purchase of outside prescribed medicines by CHSS beneficiaries**

वर्तमान में, अस्पताल फार्मेसी में अनुपलब्ध दवाओं के लिए, फार्मेसी से गैर-उपलब्धता मुहर के साथ मेसर्स अपोलो फार्मेसी (निजी एजेंसी) के माध्यम से क्रेडिट आधार पर दवाओं की खरीद के लिए मरीजों को बाहरी पर्चे जारी किए जाते हैं, यह अनुबंध अवधि दिनांक 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो जाएगी। नई एजेंसी को अनुबंध देने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है।

At present, for the medicines not available at Hospital Pharmacy, outside prescriptions are issued to the patients with non-availability seal from pharmacy for procurement of medicines through M/s. Apollo Pharmacy (Private Agency) on credit basis, whose contract period will be over on 30th September 2023. Action has been taken for award of contract to the new agency.

अंतरिम अवधि में दवाओं की खरीद में कठिनाइयों को कम करने के लिए, सीएचएसएस लाभार्थियों को पऊवि अस्पताल, कल्पाक्कम से जारी पर्चे के आधार पर कल्पाक्कम टाउनशिप और अणुपुरम टाउनशिप के आसपास स्थित पंजीकृत मेडिकल दुकानों से दवाएं खरीदने की अनुमति दी जा सकती है जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं और वे प्रतिपूर्ति दावा कर सकते हैं।

In order to reduce the hardships in the purchase of medicines in the interim period, the CHSS beneficiaries may be allowed to purchase medicines which is not available in the hospital from registered medical shops located in the vicinity of Kalpakkam Township and Anupuram Township based on the prescription issued from DAE Hospital, Kalpakkam and claim reimbursement.

दूर स्थानों पर रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कल्पाक्कम और अणुपुरम क्षेत्रों (जैसे थिरुकलीकुंदरम, चेंगलपट्टू, चेन्नई आदि) के बाहर रहने वाले सीएचएसएस लाभार्थियों को पऊवि डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए बाहरी पर्चे के आधार पर किसी भी बाहरी पंजीकृत दवा की दुकान से दवा खरीदने और प्रतिपूर्ति दावा जमा करने की अनुमति दी जाएगी। हमेशा की तरह पऊवि अस्पताल को निर्धारित प्रपत्र में प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करें। इस संबंध में, निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए:

CHSS beneficiaries residing outside Kalpakkam and Anupuram areas (like Thirukalikundram, Chengalpattu, Chenni etc) including retired employees residing at faraway places, will be allowed to purchase medicine from any outside registered pharmaceutical shops based on the outside prescriptions issued to them by DAE doctors and submit reimbursement claim in the prescribed form to the DAE Hospital as usual. In this connection, the following points shall be noted.

1. खरीद से पहले अस्पताल फार्मेसी से पऊवि डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए बाहरी पर्चे पर "उपलब्ध नहीं" मुहर प्राप्त की जानी चाहिए।
   "Not Available" seal must be obtained in the outside prescription issued by DAE doctors from Hospital Pharmacy before purchase.

2. **लिखी गई बाहरी दवाएँ डॉक्टर के पर्चे के जारी होने के 10 दिनों के भीतर खरीदी जानी चाहिए।**
   Outside medicines prescribed should be purchased within 10 days of the prescription issued.

3. भोजन/शौचालय संबंधी सामग्री/कॉस्मेटिक/कीटाणुनाशक/अस्वीकार्य वस्तुएँ डॉक्टरों द्वारा लिखे जाने पर भी प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य नहीं हैं।
   Food/toiletry/cosmetic/disinfectant/inadmissible items are not admissible for reimbursement even if prescribed by the doctors.

4. दावा दवाओं की खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर सीएचएसएस कार्यालय, पऊवि अस्पताल, कल्पाक्कम में जमा किया जाए।
   The claim shall be submitted within 90 days from the date of purchase of medicines to the CHSS office, DAE Hospital, Kalpakkam.

5. आवश्यक प्रमाणीकरण के साथ ऐसे दावों को सीएचएसएस कार्यालय, पऊवि अस्पताल, कल्पाक्कम से प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित लेखा अनुभाग को भेजा जाएगा।
   Such claims with necessary certification will be forwarded to concerned accounts section for reimbursement from the CHSS office, DAE Hospital, Kalpakkam.

उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेगी।
The above arrangement will be with immediate effect and until further order

29/9/2023

(एस ए मेश्राम / S A MESHRAM)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / Chief Administrative Officer

नोटिस बोर्ड (इंगांपअकें/एमएपीएस/जीएसओ/बीएआरसी सुविधाएं/भाविनि/सीआईएसएफ/एईसीएस)
NOTICE BOARDS (IGCAR/MAPS/GSO/BARC FACILITIES/BHAVINI/CISF/AECS)

प्रतिलिपि Copy to:

पऊवि अस्पताल के सभी चिकित्सा अधिकारी; सकअ (सीएचएसएस), पऊवि अस्पताल
All Medical Officers in DAE Hospital; APO (CHSS), DAE Hospital

लेखाधिकारी,इंगांपअकें/एमएपीएस/जीएसओ/बीएआरसीएफ/भाविनि/पीआरपी/डीपीएस/आईएमएससी
Accounts Officer, IGCAR/MAPS/GSO/BARCF/BHAVINI/PRP/DPS/IMSc

प्राचार्य, एईसीएस-I/एईसीएस-II/केवी-I/केवी-II; कमांडेंट, सीआईएसएफ, कल्पाक्कम/भाविनि
Principal, AECS-I/AECS-II/KV-I/KV-II; Commandant, CISF, Kalpakkam/BHAVINI